\

<u>अति आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302015)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– 4794 – 4984 दिनांक 25-4-17

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
समस्त नगर निगम / परिषद / पालिकाएं,
राजस्थान।

विषय :– दिनांक 10.05.2017 से 10.07.2017 तक आयोजित होने वाले जन कल्याण शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित करने के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत् दिनांक 10.05.2017 से 10.07.2017 तक शहरी जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जाना है। इन शिविरों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत आदेश आपको पृथक से प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही इस संबंध में दिनांक 02.05.2017 को प्रातः 9.15 बजे बिरला ऑडिटोरियम, स्टेच्यू सर्किल जयपुर में एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें आपको आपके निकाय के महापौर / सभापति / अध्यक्ष के साथ आवश्यक रूप से भाग लेना है।

आपको आपके स्तर पर तुरन्त इन शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित करना है। कार्यक्रम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखें कि ये शिविर दो दिवसीय होंगे जिसमें प्रथम दिवस प्रार्थना–पत्र आदि तैयार करने का कार्य किया जायेगा जबकि द्वितीय दिवस में स्वीकृति जारी करने, पट्टे बाटने आदि का कार्य किया जायेगा। प्रति सप्ताह बुधवार–गुरूवार तथा शुक्रवार–शनिवार को अधिकतम दो शिविर आयोजित किये जायेंगे तथा एक शिविर में अधिकतम तीन वार्डों को शामिल (Club) किया जा सकेगा। प्रत्येक नगरीय निकाय अपने वार्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस अनुरूप अपना कार्यक्रम तैयार करेंगे। **साथ ही यह कार्यक्रम तैयार करते समय संबंधित जिला कलक्टर से आवश्यक रूप से चर्चा करेंगे एवं उनके सुझावों के अनुरूप अन्तिम कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। इस प्रकार निर्धारित किये जाने वाले कार्यक्रमों की एक प्रति निदेशालय को दिनांक 27.04.2017 को सांय 4.00 बजे तक itcell.dlbjaipur@gmail.com** पर भिजवाने का श्रम करे। साथ ही एक प्रति संबंधित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) को प्रेषित करें।

25/4
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– 4985 – 5193 दिनांक 25-4-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. समस्त महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगरीय निकाय विभाग, राज0, जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित सूचना संकलित कर दिनांक 27.04.2017 को सांय 4.00 बजे तक निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिकारीगण निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

25/4
निदेशक एवं संयुक्त सचिव